

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 13/2017

तारीख रजू:- 18.10.2017

1. सुभाषचंद पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहामण निवासी वीआईपी कॉलोनी, हिण्डौन सिटी
2. रमेशचंद पत्र रामकिशोर जाति ब्राहामण निवासी स्टेशन रोड हिण्डौनसिटी जिला करौली
3. अनिल कुमार पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहामण निवासी दुब्बेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. शारदा पुत्री रामकिशोर पत्नि कैलाशचंद जाति ब्राहामण निवासी बांदीकुई जिला दौसा
5. विमलेश पुत्री रामकिशोर पत्नि रविकांत दुबे, जाति ब्राहामण निवासी तलवंडी कोटा
6. संतोष पुत्री रामकिशोर पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहामण निवासी आरकेपुरम, कोटा
7. सुनीता पुत्री रामकिशोर पत्नि संजीव जाति ब्राहामण निवासी बजरिया कोटा
8. अल्पना पुत्री रामकिशोर पत्नि मुकेश जाति ब्राहामण निवासी मुहाना रोड जयपुर

:— अपीलान्ट

## बनाम

1. राधा वेवा सत्यप्रकाश
  2. ऋतु पुत्री सत्यप्रकाश
  3. नीतू पुत्री सत्यप्रकाश
  4. आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन जिला करौली
  5. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली
- जाति ब्राहामण निवासी वीआईपी कॉलोनी गोपाल टाकीज के पीछे हिण्डौन जिला करौली

—रेस्पोंडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगपालिका अधिनियम 2009 विरुद्ध पट्टा भूमि खसरा नं. 2291 गैरमुमकिन रास्ता कुल क्षेत्रफल 2640 वर्गफिट

मय प्रार्थनापत्र

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी गुजार ने नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियम 327 के तहत नगर परिषद हिण्डौन के खसरा नं. 2291 में जारी पट्टा क्षेत्रफल 2640 वर्गफिट दिनांक 09.03.2013 के खिलाफ निगरानी पेश की गई है। जिसमें अनिगरानी गुजार सख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 के तहत पट्टे के खिलाफ सुनवाई का अधिकार श्रीमान को नहीं होकर स्वास्थ्य शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 8 (ख) नियम/ डी.एल.बी/10 /8226—8427 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन

अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।


बकील प्रार्थी/अनिगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में कहा की श्रीमान को नगरपालिका के पट्टो की निगरानी सुनने का अधिकार नहीं है। प्रार्थनापत्र में अंकित आदेशो के मुताबिक सभी अधिकार राज सरकार के आदेश दिनांक 31.03.2010 के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, निदेशक स्वायत शासन सचिव को अधिकार दिया हुआ है। ईसी स्टेज पर निगरानी को खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने अपने बहस कथन मे कहा की नगरपालिका अधिनियम 327 में निगरानी का प्रावधान है। जिसमें राज सरकार को सुनने का अधिकार है। राज सरकार में जिला कलक्टर ही समाहित है। जिसे सुनने का पूर्ण अधिकार है। अंत में प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर नगरपालिका हिण्डौन के द्वारा जारी पट्टे के सम्बंध में नगरपालिका अधिनियम के नियम 327 के तहत निगरानी के सम्बंध का है। जिसमें अनिगरानीगुजार/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र पेश कर यह बताया है कि निगरानी सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर अन्य को है। जिसकी ताहीद में वकील अनिगरानीगुजार ने नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प 8 (क) नियम/ डीएलबी/8226 जयपुर दिनांक 31.03.2010 की प्रति पेश की गई थी जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 327 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या क्रमांक प 8 (84) एल.एस.जी. (62) पार्ट 540-784 दिनांक 05.02.1987 को अधिक्रमित करते हुए राज. सरकार द्वारा धारा 327 में निगरानी सुनने के लिए, प्रमुख शासन सचिव स्वायत शासन एवं नगरीय विकास विभाग, शासन सचिव स्वायत शासन विभाग, निदेशक एवं शासन उप सचिव स्वायत शासन विभाग को अधिकृत किया गया है। जिसमें इस धारा में निगरानी सुनने का अधिकार इन्ही को है। जहा पर वकील निगरानीगुजार/अप्रार्थी का कथन था की निगरानी सुनने का अधिकार राज. सरकार को है। ओर ये सभी अधिकार जिला कलक्टर मे समाहित है। वहा पर इस अधिसूचना के खिलाफ कोई आदेश आदि पेश नहीं कियो गये है। जिससे विदित है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 में पट्टे की निगरानी का अधिकार स्वायत विभाग के अधिकारी को ही है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है।

अतः अप्रार्थी/अनिगरानीगुजार नम्बर 1 का प्रार्थनापत्र वॉर्ड वाई लॉ होने पर स्वीकार किया जाता है। तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उनवानी सुभाषचंद बनाम राधा वगै० मु. नं. 12/17 इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र रहेगे। निर्णय की प्रति आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
अति० जिला कलक्टर  
करौली